न्यायालय सहायक कलक्टर, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मासिंगा राम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 56 / 2025

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. आबिद खान पुत्र अयुब खां जाति लुहार मुसलमान निवासी सोजत रोड तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. चंचल पुत्री चम्पालाल 2. डिम्पल पुत्री चम्पालाल जातिगण कुम्हार निवासीगण खोखरा तह0 सोजत जिला पाली राज0। 3. ढगलाराम पुत्र विरदाराम के का0मु0 3/1 शंकरलाल पुत्र ढगलाराम 3/2 गणपतलाल पुत्र ढगलाराम 3/3 ललिता पुत्री ढगलाराम 3/4 रेखा पुत्री ढगलाराम 3/5 लक्ष्मी पुत्री ढगलाराम जातिगण कुम्हार निवासीगण खोखरा तह0 सोजत जिला पाली राज0। 4. दीपक कुमार पुत्री चम्पालाल 5. धनलक्ष्मी पुत्री चम्पालाल 6. नेनीदेवी पत्नी भंवरलाल 7. नेनी बाई पत्नि चम्पालाल 8. प्रकाश पुत्र भंवरलाल 9. बंशीलाल पुत्र छोटाराम 10. भानाराम पुत्र भोलाराम 11. भीमराज पुत्र विरदाराम 12. मांगीलाल पुत्र भोलाराम 13. मोहनलाल पुत्र विरदाराम 14. राजुराम पुत्र भंवरलाल 15. शांति देवी पुत्री छोटाराम 16. सुखडी देवी पुत्री छोटाराम 17. सेणी देवी पुत्री भोलाराम 18. सोहनलाल पुत्र छोटाराम जातिगण कुम्हार निवासीगण खोखरा तह0 सोजत जिला पाली राज0। 19. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत तह0 सोजत जिला पाली राज0

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. श्री रविन्द्र बोहरा अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उप0।

–: निर्णय :– दिनांक – 05/06/2025

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा खोखरा, प0ह0 खोखरा तहसील सोजत के खसरा नम्बर 315 रकबा 4.5200 है0 किस्म बंजड़ की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। वादी द्वारा अपने हक

उपखण्ड अधिकारी

की कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा चाहा गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना/तामिली अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा दिनांक 12.05.2025 को बाद सुनवाई वादी का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का मौका, कब्जा, रेकर्ड तथा हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने क्रमांक/रीडर/2025/766 दिनांक 28.05.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया, जो सा0मि0 है। प्राप्त माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी अधिवक्ता द्वारा निर्णय पारित कर डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता वादी तथा तहसीलदार सोजत को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपुर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार होने से माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 27.05.2025 वादी का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 27.05.2025 अनुसार डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा खोखरा, प0ह0 खोखरा तहसील सोजत के खसरा नम्बर 315 रकबा 4.5200 है0 किस्म बंजड की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

01 ग्राम खोखरा में स्थित कृषि भूमि का विभाजनः–

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	आबिद खां पुत्र अयुब खां जाति मुसलमान सा0 सोजत रोड़ खातेदार	315/4	0.8450	बजड़	1.65
2.	मांगीलाल पुत्र भोलाराम 1/3 भानाराम पुत्र भोलाराम 1/3 सेणी पत्नि भोलाराम 1/3 कुम्हार सा0 देह खातेदार	315/3	0.2550	बजड़	0.55
3.	ढगलाराम पुत्र विरदाराम 1/3 भीमराज पुत्र विरदाराम 1/3 मोहनलाल पुत्र विरदाराम 1/3 कुम्हार सा0 देह खातेदार	315	1.10	बजड़	2.20

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

	बशीलाल पुत्र छोटाराम 1/6 शांति पुत्री छोटाराम 1/6 सुखडी पुत्री छोटाराम 1/6 सोहनलाल पुत्र छोटाराम 1/6 नेनीदेवी पत्नि भंवरलाल 1/18 प्रकाश पुत्र भंवरलाल 1/18 राजूराम पुत्र भंवरलाल 1/18 चंचल पुत्री चम्पालाल 1/30 डिम्पल पुत्री चम्पालाल 1/30 धनलक्ष्मी पुत्री चम्पालाल 1/30 नेनीदेवी पत्नि चम्पालाल 1/30 दीपक कुमार पुत्र चम्पालाल 1/30 कुम्हार सा0 देह खातेदार	315/1	2.20	बंजड	4.40
5.	आबिद खां पुत्र अयूब खान वगैरह सम्पूर्ण खाता जमाबंदीनुसार बदस्तुर	315/2	0.12	बंजड	0.24

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 05/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

वादी

1. आबिद खान पुत्र अयुब खां जाति लुहार मुसलमान निवासी सोजत रोड तह0 सोजत जिला पाली राज0।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. चंचल पुत्री चम्पालाल
2. डिम्पल पुत्री चम्पालाल जातिगण कुम्हार निवासीगण खोखरा तह0 सोजत जिला पाली राज0।
3. ढगलाराम पुत्र विरदाराम के का0मु0
   3/1 शंकरलाल पुत्र ढगलाराम
   3/2 गणपतलाल पुत्र ढगलाराम
   3/3 ललिता पुत्री ढगलाराम
   3/4 रेखा पुत्री ढगलाराम
   3/5 लक्ष्मी पुत्री ढगलाराम जातिगण कुम्हार निवासीगण खोखरा तह0 सोजत जिला पाली राज0।
4. दीपक कुमार पुत्री चम्पालाल
5. धनलक्ष्मी पुत्री चम्पालाल
6. नेनीदेवी पत्नी भंवरलाल
7. नेनी बाई पत्नि चम्पालाल
8. प्रकाश पुत्र भंवरलाल
9. बंशीलाल पुत्र छोटाराम
10. भानाराम पुत्र भोलाराम
11. भीमराज पुत्र विरदाराम
12. मांगीलाल पुत्र भोलाराम
13. मोहनलाल पुत्र विरदाराम
14. राजुराम पुत्र भंवरलाल
15. शांति देवी पुत्री छोटाराम
16. सुखडी देवी पुत्री छोटाराम
17. सेणी देवी पुत्री भोलाराम
18. सोहनलाल पुत्र छोटाराम
    जातिगण कुम्हार निवासीगण खोखरा तह0 सोजत जिला पाली राज0।
19. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत तह0 सोजत जिला पाली राज0

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला पाली (राज.)

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

राजस्व वादः– 56/2025

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री रविन्द्र बोहरा अधिवक्ता वादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा खोखरा, प0ह0 खोखरा तहसील सोजत के खसरा नम्बर 315 रकबा 4.5200 है0 किस्म बंजड की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजनं खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

म खोखरा मे स्थित कृषि भूमि का विभाजन

क.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1	आबिद खां पुत्र अयूब खां जाति मुसलमान सा0 सोजत रोड खातेदार	315/4	0.8450	बजड़	1.65
2	मागीलाल पुत्र भोलाराम 1/3 भानाराम पुत्र भोलाराम 1/3 सेणी पत्नि भोलाराम 1/3 कुम्हार सा0 देह खातेदार	315/3	0.2550	बजड़	0.55
3.	ढगलाराम पुत्र विरदाराम 1/3 भीमराज पुत्र विरदाराम 1/3 मोहनलाल पुत्र विरदाराम 1/3 कुम्हार सा0 देह खातेदार	315	1.10	बजड	2.20
4.	बंशीलाल पुत्र छोटाराम 1/6 शांति पुत्री छोटाराम 1/6 सुखडी पुत्री छोटाराम 1/6 सोहनलाल पुत्र छोटाराम 1/6 नेनीदेवी पत्नि भंवरलाल 1/18 प्रकाश पुत्र भंवरलाल 1/18 राजूराम पुत्र भंवरलाल 1/18 चंचल पुत्री चम्पालाल 1/30 डिम्पल पुत्री चम्पालाल 1/30 धनलक्ष्मी पुत्री चम्पालाल 1/30 नेनीदेवी पत्नि चम्पालाल 1/30 दीपक कुमार पुत्र चम्पालाल 1/30 कुम्हार सा0 देह खातेदार	315/1	2.20	बजंड़	4.40
5.	आबिद खां पुत्र अयूब खान वगैरह सम्पूर्ण खाता जमाबंदीनुसार बदस्तुर	315/2	0.12	बंजड़	0.24

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 05/06/2025 को जारी की गई।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.

[illegible] अर[illegible]	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य
[illegible]म्प [illegible]नामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प [illegible]ती	शून्य	शून्य
[illegible]म्प [illegible] सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकील	शून्य	शून्य
[illegible] [illegible]ील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
ख[illegible] [illegible]ाहान	शून्य	शून्य	फीस [illegible]मिश्नर	शून्य	शून्य
फी[illegible] [illegible]मिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
[illegible] इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
[illegible]र्रिक	शून्य	शून्य			
[illegible]ई	रूपया	न पै	मुददायला	रूपया	न पै